अधीक्षण अभियन्ता (यां0) का कार्यालय
सिंचाई विद्युत सह यांत्रिक अंचल, पटना
E-Mail-seiemcpatna@gmail.com

प्रेस–विज्ञप्ति

श्रीमती शिवानी कुमारी, निम्नवर्गीय लिपिक, क्षेत्र यंत्र प्रमण्डल, दीघा, पटना (पत्राचार का पता द्वारा–शारदा रंजन सिन्हा, रामलखन वाटिका, विजय बिहार कॉलोनी, पूर्वी गोला रोड, पो0–दानापुर, जिला–पटना–801503) के विरूद्ध श्री विजय कुमार, कार्यभारित चौकीदार, क्षेत्र यंत्र प्रमण्डल, दीघा, पटना के मामले में आपके द्वारा बरती गयी अनियमितता संबंधी आरोपों की जाँच हेतु मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक), जल संसाधन विभाग, पटना के आदेश संख्या–31 सह पठित ज्ञापांक संख्या–837 दिनांक 16.04.2025 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। विभागीय कार्यवाही संचालन में उपस्थित रहने हेतु आपको विभिन्न पत्रों (इस कार्यालय के पत्रांक 344 दिनांक 07.05.2025, पत्रांक 414 दिनांक 26.05.2025, पत्रांक 709 दिनांक 22.08.2025 एवं पत्रांक 921 दिनांक 14.11.2025) द्वारा अनेकबार तिथि निर्धारित करते हुए क्रमशः दिनांक 26.05.2025, 16.06.2025, 07.07.2025 एवं 08.09.2025 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित रहकर अपना पक्ष रखने हेतु निदेशित किया जाता रहा है, परन्तु किसी भी सुनवाई में आप उपस्थित नहीं हुई। पुनः इस कार्यालय द्वारा अंतिम रूप से विभागीय कार्यवाही की तिथि दिनांक 28.11.2025 को निर्धारित करते हुए सुनवाई में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु आपके पत्राचार/आवासीय पते पर विशेष दूत के माध्यम से भी पत्र आपके ससुर (Father -in-Law) श्री शारदा रंजन सिन्हा को हस्तगत कराया गया, इसके बावजूद भी आप निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं हुई।

इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि प्रेस विज्ञप्ति जारी होने के एक पक्ष के अन्दर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपस्थित होकर अपने विरूद्ध लगे आरोपों के संबंध में अपना पक्ष रखें। यदि निर्धारित अवधि में उपस्थित होकर अपना पक्ष नहीं रखते हैं, तो यह माना जायेगा कि अपने ऊपर लगे आरोप के संबंध में आपको कुछ भी नहीं कहना है। ऐसी स्थिति में एक पक्षीय जाँच प्रतिवेदन समर्पित कर दिया जायेगा।

09/02/26

संचालन पदाधिकारी
–सह–
अधीक्षण अभियंता(यां0)
सिंचाई विद्युत सह यांत्रिक अंचल,पटना

09/02/2026

09/02/26